

## आयुष्मान कार्ड वार्डवार कॉमन सेन्टरों पर निःशुल्क बनाये जा रहे हैं सात दिनों में 1233 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये

रतलाम 11 जून । आयुष्मान भारत "निरामयम" योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य नगर निगम द्वारा 5 से 15 जून तक वार्डों के कॉमन सर्विस सेन्टरों पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में वार्ड वार नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। कार्ड बनाने का कार्य 5 जून को प्रारंभ किया गया जिसके तहत 11 जून को 164 कार्ड बनाये गये इस तरह 7 दिनों में 1233 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनवाये जा चुके हैं।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा आयुष्मान भारत "निरामयम" योजना अन्तर्गत आयुष्मान कार्ड विशेष अभियान चलाकर योजना अन्तर्गत पात्र परिवारों का आयुष्मान कार्ड समय-सीमा में बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा वार्डवार नगर निगम कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कॉमन सर्विस सेन्टर के प्रोवाइडर के दलो का गठन किया है तथा कार्य के पर्यवेक्षण हेतु निगम के उपयंत्री, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, को पाबंद किया गया तथा आयुष्मान कार्ड बनाने की संपूर्ण कार्यवाही हेतु स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

वार्डवार गठित दलों को निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया है कि रतलाम नगर में युद्ध स्तर पर पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जाना है इस हेतु हितग्राही से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जावे, पात्र हितग्राहियों और उनके परिवार सदस्यों का पंजीयन किये जाने हेतु आधार कार्ड व समग्र आईडी दस्तावेज के रूप में लिये जावें।

## शैलेन्द्र मेहना को वार्ड 46 के प्रभार से मुक्त किया

रतलाम 11 जून । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने वार्ड क्रमांक 46 के वार्ड प्रभारी के प्रभार से मुक्त कर वार्ड क्रमांक 8 में मूल पद सफाई संरक्षक के पद पर सफाई कार्य हेतु नियुक्त किया।

## युद्ध स्तर पर चल रहा है नाले-नालियों की सफाई का कार्य 7 नालो की सफाई का कार्य जारी

नालो की सफाई उपरान्त किया जा रहा है कीटनाशक दवा का छिड़काव

रतलाम 11 जून । वर्षा ऋतु के पूर्व नगर के समस्त नाले-नालियों की सफाई करवाये का कार्य निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देश के तहत निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है साथ ही नालो की सफाई उपरान्त कीटनाशक दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा न्यू अलकापुरी, डोसीगांव, सिविक सेन्टर, मौमिनपुरा, ईदगाह, चौमुखी पुल व लक्कड़पीठा वाले नाले की सफाई का कार्य स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह के निर्देशन में जेसीबी मशीन, ट्रेक्टर ट्रॉली व गैंग के माध्यम से किया गया व सफाई उपरान्त नालों व नालियों में केसोलिक व ब्लीचिंग कीटनाशक दवा का छिड़काव किया गया। इसके अलावा जिला चिकित्सालय की बावड़ी की सफाई का कार्य करवाया गया।

937 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा

## स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रतलाम 11 जून | रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 11 जून तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 937 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 11 जून को कालिका माता, आनन्द कालोनी, महु रोड आदि क्षेत्रों से 5 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहों को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलों को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ों का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रुपये 500/- वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

## होम आईसोलेशन मरीजों को मेडिसिन किट का वितरण

### 3 मरीजों को किया मेडिसिन किट का वितरण

### मरीज के परिजनों को 7 मेडिकल किट का वितरण

रतलाम 11 जून | कोविड-19 संक्रमण में होम आईसोलेशन के मरीजों को मेडिसिन किट व स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की प्रति की होम डिलेवरी किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा वार्ड वार गठित दलों द्वारा मरीजों के घर जाकर मेडिकल किट प्रदान की।

ई-दक्ष केन्द्र रतलाम से 11 जून को होम आईसोलेशन के मरीजों की सूची स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह ने प्राप्त कर जिला अस्पताल के स्टोर से 4 मेडिसिन किट प्राप्त कर निगम के अग्निशमन विभाग में उपलब्ध कराई जिन्हे अग्निशमन विभाग से वार्ड वार गठित दलों वितरण हेतु उपलब्ध कराई गई।

वार्ड वार गठित दलों द्वारा होम आईसोलेशन के मरीजों के घर-घर जाकर मेडिकल किट का वितरण किया गया जिसके तहत सूची अनुसार 3 मरीजों को मेडिकल किट का

वितरण घर पर किया गया व एक मरीज को पूर्व से ही मेडिसीन किट प्राप्त हो चुकी थी तथा 7 मेडिसीन किट मरीज के परिजनों को प्रदान की गई।

## **आपदा प्रबंधन हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने सौंपी जिम्मेदारी निगम में नियंत्रण कक्ष की स्थापना**

रतलाम 11 जून । अति वृष्टि के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित परिस्थितियों से निपटने एवं आपदा प्रबंधन के लिए निगम स्तर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पाबंद किया है।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत जीर्ण-शीर्ण भवनों को वर्षा ऋतु के पूर्व नोटिस देकर खतरनाक भवनों को चिन्हित किया जाकर भवन स्वामी को नोटिस दिये जाने तथा क्षतिग्रस्त पुलियाओं को चिन्हित कर रेडियम लगाने के निर्देश के साथ जल प्लावन रोकने तथा पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न करने वाले नाला एवं नालियों के अतिक्रमण चिन्हित कर हटाये जाने तथा शहर के नाले नालियों एवं वाल के चेम्बरों पर लगे ढक्कन व फर्सी इत्यादि खुली न रहे इसकी व्यवस्था किये जाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग एवं कर्मशाला विभाग को सौंपी है।

अति वृष्टि हेतु 8 आश्रय स्थल बनाये गये हैं जिसके तहत गांधीनगर कम्युनिटी हॉल, ईश्वर नगर विद्यालय भवन, शैरानीपुरा जमातखाना, अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, धीरजशाह नगर रॉयल हॉल, भवन निर्माण कला केन्द्र बिरियाखेड़ी तथा श्री जैन उ. मा.विद्यालय सागोद रोड है । आश्रय स्थलों के व्यवस्था की जिम्मेदारी उपयंत्री श्री विकास मरकाम उपयंत्री को सौंपी गई है। जो नियुक्त किये गये कर्मचारियों के सहयोग से समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आपदा प्रबंधन के उपयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री एवं संसाधनों का आंकलन कर उसके भण्डारण की जिम्मेदारी भण्डार रक्षक को सौंपी है साथ ही वर्षा ऋतु में शुद्ध जल की उपलब्धता एवं वितरण के लिये आवश्यक रसायनों की व्यवस्था एवं उपलब्धता तथा पानी निकालने के लिये पम्प आदि की व्यवस्था किये जाने की जिम्मेदारी प्रभारी कार्यपालन यंत्री जलप्रदाय को सौंपी है।

जल की समुचित निकासी एवं व्यवस्थित बहाव के लिए आवश्यक व्यवस्था तथा इस हेतु पृथक से दल गठित करना, वर्षा काल में सड़ी-गली सब्जी-फल आदि के विनिष्टीकरण की कार्यवाही एवं इस हेतु पृथक से दल गठित करना तथा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे एवं बड़े नाले-नालियों की वर्षा पूर्व समुचित सफाई एवं जल एक स्थान पर एकत्रित न हो इसकी व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालयों एवं मुत्रालयों की नियमित रूप से साफ-सफाई करवाई जाकर आपदा प्रबंधन के संबंध में आवश्यक संसाधन, कीटनाशक आदि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्र.स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वच्छता निरीक्षकों को सौंपी गई है। इसके अलावा प्रकाश हेतु टार्च, पेट्रोमेक्स, तैराक इत्यादि की व्यवस्था के भी निर्देश संबंधित को दिये हैं।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य के लिये नियंत्रण कक्ष जिसका दूरभाष नम्बर 07412-270563 स्थापित कर उपयंत्रियों एवं सहायक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाये जाने के निर्देश दिये।

इसके अलावा नाले नालियों की सफाई, वर्षा के जल को बड़े नालों में मिलाना, वर्षा का पानी एक स्थान पर एकत्रित होने पर कच्चे नाले-नालियों का निर्माण करना, अतिवृष्टि स्थल पर विद्युत लाईन काटने हेतु दल गठित करना, आपदा की स्थिति में फायर बिग्रेड दल को सुलभ रखना, तैराक की व्यवस्था करने सहित निगम के अन्य वाहनों को कार्यशील अवस्था में रखने के निर्देश संबंधितों को दिये।

### **नगर के सभी 49 वार्डों में लगे वार्ड के कर्मचारियों की जानकारी के होर्डिंग्स**

रतलाम 11 जून। नगर के प्रत्येक वार्ड में सफाई कर्मचारियों के नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर, हाजरी का स्थल, वार्ड प्रभारी, झोन प्रभारी, स्वास्थ्य अधिकारी के नाम एवं मोबाईल नम्बर की जानकारी के फ्लेक्स होर्डिंग सभी 49 वार्डों में कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा लगाये गये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि नगर के सभी 49 वार्डों में वार्ड में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर, हाजरी का स्थल, वार्ड प्रभारी, झोन प्रभारी, स्वास्थ्य अधिकारी के नाम एवं मोबाईल नम्बर की जानकारी का फ्लेक्स होर्डिंग लगवा दिये गये हैं ताकि सभी को कर्मचारियों के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सकें कि उनके वार्ड में सफाई कार्य हेतु कौन-कौन व कितनी संख्या में कर्मचारी कार्यरत है।

## कन्टेनमेंट क्षेत्रों में किया जा रहा है सेनेटाईजेशन का कार्य

रतलाम 11 जून | कोविड-19 (कोरोना वायरस) के फैलाव को रोकने हेतु जिला कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मरीज पाये जाने पर बनाये गये कन्टेनमेंट क्षेत्रों में फायर लॉरी, ट्रेक्टर ट्रॉली व हैण्ड स्प्रे मशीन से सेनेटाईजेशन किया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मरीज पाये जाने पर बनाये गये विभिन्न कन्टेनमेंट क्षेत्रों में फायर लॉरी, ट्रेक्टर ट्रॉली व हैण्ड स्प्रे मशीन से कन्टेनमेंट क्षेत्रों में नियमित रूप से पानी में 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईड मिलाकर सेनेटाईजेशन का कार्य झोन अनुसार नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है ताकि कोविड-19 (कोरोना वायरस) के फैलाव को जा सकें।

### गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 11 जून | निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

## खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का विक्रय व उपयोग करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 11 जून | नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले-नालियों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में मनोज टांक मो.नं. 7000848456, पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे मो.नं. 9424075393, मनोज झांझोट मो.नं.

6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले-नालियों में कचरा डालते हैं व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते हैं उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते हैं उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

*वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही*  
रतलाम 11 जून । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/11.06.2021/न.पा.निगम, रतलाम.